न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 05/2017

अपीलांट

कपूराराम पुत्र कसुआजी जाति सुथार आयु 42 वर्ष निवासी तंवरी वाया कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. गोविन्दराम पुत्र तोलाजी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी तंवरी वाया कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही।
2. भूरी पत्नी स्व. कानाजी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी तंवरी वाया कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही।
3. जैसाराम पुत्र मालाजी
4. फुसाराम पुत्र मालाजी के कायम मुकाम
   4/1 अशोक पुत्र मालाजी
   4/2 हंजारीमल पुत्र मालाजी
   4/3 महेन्द्र पुत्र फुसाराम जरिये नाबालिक वलीया कुदरतीवली माता दारमी
   4/4 हितेश पुत्र फुसाराम जरिये नाबालिक वलीया कुदरतीवली माता
5. अशोक पुत्र मालाजी
6. हंजारीमल पुत्र मालाजी
7. श्यामलाल पुत्र मालाजी
8. पुरी बाई पुत्री मालाजी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री शैतान भाटी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 09 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 06.05.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

विधिक वाद संख्या 103/2015 बउनवान कपुराराम बनाम गोविन्दराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उक्त पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम तंवरी पटवार हल्का तंवरी के खाता संख्या 82 के खसरा नंबर 215 रकबा 1.7800 हैक्टेयर खाता संख्या 83 के खसरा नंबर 529 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 626 रकबा 1.1200 हैक्टेयर आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त पुश्तैनी आराजी है। जो अपीलांट के दादाजी धुडाजी के नाम दर्ज थी, उनके देहान्त पश्चात उक्त आराजी अपीलांट के चाचा स्व. तोलाराम, स्व. मालाराम के नाम दर्ज की गई। अपीलांट के चाचा द्वारा राजस्व अधिकारियो से मेल मिलाप कर अपीलांट के पिता कसुआजी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करवाया। जबकि अपीलांट के पिता का उक्त आराजी में 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। अत वादग्रस्त आराजी मे से 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पूर्वजो की पुश्तैनी आराजी है। जिससे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में हक हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 05 द्वारा अपने शपथ पत्र में वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर अपीलांट का जन्म से अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रतिकूल कब्जे को आधार मानते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम तंवरी पटवार हल्का तंवरी के खाता संख्या 82 के खसरा नंबर 215 रकबा 1.7800 हैक्टेयर खाता संख्या 83 के खसरा नंबर 529 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 626 रकबा 1.1200 हैक्टेयर आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त पुश्तैनी आराजी है। जो अपीलांट के दादाजी धुडाजी के नाम दर्ज थी, उनके देहान्त पश्चात उक्त आराजी अपीलांट के चाचा स्व. तोलाराम, स्व. मालाराम के नाम दर्ज की गई। अपीलांट के चाचा द्वारा राजस्व अधिकारियो से मेल मिलाप कर अपीलांट के पिता कसुआजी का नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करवाया। जबकि अपीलांट के पिता का उक्त आराजी में 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। अत वादग्रस्त आराजी मे से 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त पुश्तैनी आराजी है। इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 05 अशोक कुमार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार "उक्त वादग्रस्त आराजी हमारे दादा धुडाजी से चली आ रही है। उक्त धुडाजी के तीन पुत्र है जो क्रमश तोलाजी, मालाजी, एवं कसुआजी थे, उक्त तीनो भाईयों का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन सबसे छोटे भाई कसुआजी का रेकर्ड में दर्ज नही हुआ है। मौके पर उक्त वादग्रस्त आराजी में उक्त तीनो भाईयों के वारिसदारान का कब्जा काश्त यथावत चला आ रहा है। वादी कपुराराम पुत्र कछुआजी का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त कायम है। लेकिन रेकर्ड इनका नाम दर्ज नही हुआ है।" होना ताईद किया है। जिससे यह तो स्पष्ट है कि अपीलांट धुडाजी को पोता एवं कसुआजी का पुत्र है। एवं वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त है। आर.आर.डी 1977 पेज 95 तथा 233 प्रसंगित में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "यह सुस्थापित है कि जहां कृषि संबंधी जोत पिता की है, तो अभिधृति का अधिकार वहां उसके बच्चो को उस (पिता) की मृत्यु हो जाने पर ही मिलेगा, परन्तु इस सिद्धान्त को वहां लागू नहीं किया जा सकता, जहां जोत पिता के पास में है, वह पैतृक है।" अत अपने पिता के पास की पैतृक भूमि में पुत्र को जन्म से ही और पिता के जीवनकाल में ही अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह उस पैतृक भूमि के विभाजन की मांग कर सकता है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद केवल मात्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खारिज किया गया है। जबकि पुश्तैनी आराजी पैतृक आराजी है जिसमे प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न ही नही उठता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 40 के अनुसार "कोई अभिधारी निर्वसीयत मर जाये तो उसकी जोत में का उसका हित स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था न्यागत होगा।" वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसमे अपीलांट के हक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 40 एवं धारा 8 की सूची प्रथम के तहत स्वतः ही लागू हो जाते है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 40 एवं धारा 8 की सूची प्रथम के प्रावधानो का अवलोकन किये बिना केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व विधिक वाद संख्या 103/2015 बउनवान कपुराराम बनाम गोविन्दराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 एवं राजस्थान हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची प्रथम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए 03 माह में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही